न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।

सत्र वाद संख्या– 340/2026

सरकार –––––बनाम–––––उमेश भट्ट आदि

मु०अ०सं०–401/2024

धारा–307, 323, 352, 504, 506, 325 भा०दं०वि०

थाना–खलीलाबाद, जनपद– सन्त कबीर नगर।

आरोप

मैं **रणधीर सिंह**, सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर आप अभियुक्तगण **उमेश भट्ट** व **रमेश भट्ट** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथम–यह कि दिनांक 21.05.2024 को समय करीब 12.30 पी०एम० पर, घटनास्थल न्यायालय अपर जिला जज–प्रथम कोर्ट/न्यायालय परिसर, थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर में सामान्य आशय के अग्रसरण में आप लोगों ने एक राय होकर वादी मुकदमा कुलदीप मिश्र व वादी के भाई संदीप मिश्र को जान से मारने की नीयत से प्राणघातक हमला कर गला दबा दिया तथा पटक–पटक कर मारा पीटा, जिस कारण उन्हें गंभीर चोटें आयी। उक्त मारपीट से यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा किया गया कृत्य **धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता सपठित 34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि, आप लोगों ने उपरोक्त समय, स्थान, दिन को सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर वादी मुकदमा कुलदीप मिश्र व वादी के भाई संदीप मिश्र को मार पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। एतद् द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जो **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा–323 सपठित 34** के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर उपहति कारित करने के आशय से वादी मुकदमा कुलदीप मिश्र व वादी के भाई संदीप मिश्र पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा किया गया उक्त कृत्य **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा 352 सपठित 34** के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

चतुर्थ–यह कि, आप लोगों ने उपरोक्त समय, स्थान, दिन को वादी मुकदमा कुलदीप मिश्र व वादी के भाई संदीप मिश्र को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित करके एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि **भारतीय दंड़ संहिता** की **धारा–504** के अन्तर्गत एक दंड़नीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

पंचम–यह कि उपरोक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आप लोगों ने मिलकर वादी मुकदमा कुलदीप मिश्र व वादी के भाई संदीप मिश्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अमित्रास कारित किया, तथा इस प्रकार आप लोगों के द्वारा **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा–506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा कुलदीप मिश्र व वादी के भाई संदीप मिश्र को मार–पीटकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। उक्त मारपीट से चोटहिल/वादी मुकदमा कुलदीप मिश्र की नाक की दोनो हड्डी व दाहिने गाल की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा किया गया उक्त कृत्य **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा 325 सपठित 34** के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध के अन्तर्गत किया जाएगा ।

दिनांक–04.08.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code–UP5761],
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

आरोप पढ़कर अभियुक्ता को सुनाया समझाया गया तो अभियुक्ता ने जुर्म से इनकार किया तथा विचारण की मांग किया।

(रणधीर सिंह)

दिनांक–04.08.2026

[J.O.Code–UP5761],
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।

सत्र वाद संख्या– 340/2026

सरकार –––––बनाम–––––उमेश भट्ट आदि

04.08.2026–

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **उमेश भट्ट** व **रमेश भट्ट** व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं। पत्रावली आरोप हेतु नियत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध है।

अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कोई आरोप विरचित नहीं होता है।

उभय पक्ष के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपरोक्त बयानात साक्षीगण एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण **उमेश भट्ट** व **रमेश भट्ट** के विरुद्ध **धारा–307, 323, 352, 325 भा०दं०वि० सपठित 34 भा०दं०वि०** तथा **504, 506 भा०दं०वि०** के तहत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः अभियुक्तगण **उमेश भट्ट** व **रमेश भट्ट** के विरुद्ध **धारा–307, 323, 352, 325 भा०दं०वि० सपठित 34 भा०दं०वि०** तथा **504, 506 भा०दं०वि०** के तहत आरोप विरचित किया गया एवं पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक .2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिए सम्मन तलब हो।

(रणधीर सिंह)
[J.O. Code–UP05761]
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.08.04 16:18:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court